अनुसूची १४-फारम सं0-४६२

आदेश-पत्रक

(ऐसे अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक - ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १९.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या और तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित। ३

आयुक्त न्यायालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा

भूमि विवाद अपील वाद संख्या-434/2012

अनिल मेहता एवं अन्य..... अपीलार्थीगण

बनाम

मणिलाल दादा एवं अन्य.....विपक्षीगण

प्रस्तुत अपीलवाद अपीलकर्ता के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सहरसा के आदेश दिनांक 21.09.2012 भूमि विवाद वाद संख्या-373/2011 के खिलाफ दाखिल किया गया है। विवाद का विषय मौजा वेहटा अंचल सोनवर्षा, जिला सहरसा के खाता संख्या-154 के खेसरा नं0 1718, 1719, 1737, 1743, 1746, 1748, 1756, 1760, 1809, 1816, 1817, 1819, 1822, 1869, 1870, 1871, 1872, 1897, 1898 रकवा 14 एकड़ 23 डिसमील का विवाद है। अपीलार्थी का कहना है कि उक्त भूमि हाल सर्वे में जाहीदा बानो पुत्री जलील अहमद के नाम से खाता खुला है और हाल सर्वे खतियान 1976 ई0 में फाईनल हो चुका है और खतियानी रैयत पॉवर ऑफ एर्टनी मालीक महम्मद नसीउद्दीन को दिए थे जिन्होने केवाला अपीलार्थी सुनील कुमार मेहता, मीरा देवी को 05.01.1992 को 1.5 बीघा जमीन खाता-154 का केवाला किए एवं शंभु मेहता को भी 17 कट्ठा केवाला किए तथा जहदा बानु खतियानी रैयत के मृत्यु के बाद 14.07.2011 को जयराम मेहता को भी बिक्री किए इस तरह 13.07.2011 एवं 14.07.2011 को अन्य अपीलार्थी भी खरीद किया जिसपर उनका दावा है दखलकार है। सबूत के तौर पर अपीलार्थी के द्वारा खतियानी रैयत एवं उनके वारसानों की खरीदगी की बात कहते हैं दूसरी तरफ विपक्षीगण का दावा है कि उक्त भूमि के हमलोग बटाईदार हैं और बी0टी0 एक्ट के सेक्सन 48ई0 के तहत बटाईदार घोषित किया गया है एवं बटाईदार के हैसियत से हकदार और दखलकार चले आते हैं और इस तरह उन्हें रैयती हक हासिल है।

उभय पक्षों के कागजात एवं निम्न न्यायालय के अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि हाल सर्वे खतियान वर्ष 1976 ई0 में फाईनल हुई है वह जहदा बानु पिता जलील अहमद के नाम से है और इसके अभ्युक्ति कॉलम में किसी बटाईदार के दखलकार रहने का कोई अभ्युक्ति नहीं है, जिससे स्पष्ट होता है कि जाहीदा बानो वर्ष 1976 तक उक्त भूमि पर बहैसियत रैयत दखलकार थीं, अब जिसके खरीददार अपीलार्थीगण हैं। विपक्षीगण के तरफ से एक आदेश दिनांक 04.01.1995 न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सहरसा वाद संख्या 110/91-92 से 116/91-92 तक का समेकित आदेश पारित किया गया है और यह कहा गया है कि सर्वे में भू-स्वामी तहसीन अहमद पे0 जलील अहमद साकिन दिलारपुर, जिला मुंगेर की भूमि है और उक्त आदेश

04.04.1975 से भू-स्वामी का नाम तहसीन अहमद पे0 जलील अहमद का नाम आया है और हाल सर्वे खतियान तहसीन अहमद के नाम से नहीं है बल्कि हाल सर्वे खतियान जहिदा बानु के नाम से आता है और मुस्लिम विधि में कोई ईजमाल परिवार यही होता है और भू-संपत्ति जिसके नाम से वही मालिक समझी जाती है और उक्त आदेश जो भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का है जिसके द्वारा बटाईदार घोषित किया गया है उसमें खतियानी रैयत जाहिदा बानु का नाम नहीं आता है और न उन्हें कोई उक्त वाद के संबंध में नोटिश दी गई है और न उनके समझ कोई सुनवाई हुई है जिससे यह स्पष्ट होता है कि जाहिदा बानु जिस जमीन की रैयत थी उस जहीदा बानु पर बटाईदार का कोई मुकदमा नहीं हुआ और उस व्यक्ति को पक्षकार बना कर आदेश पारित करवाया गया हे पर्चा भी विपक्षी के द्वारा दाखिल किया गया है, पर्चा में यह दर्शाया गया है कि असल मालिक तहसीन अहमद फर्जीदार जहीदा बानु पिता जलील अहमद बटाईदार एक्ट में महीला को छूट भी दी गई है और सन् 1984 ई0 में बेनामी ट्रनजेक्सन एक्ट में स्पष्ट रूप से उद्धृत है कि अब कोई व्यक्ति किसी भूमि को बेनामी नहीं कह सकता हे जिस वजह से बेनामी के आधार पर पर्चा लिया जाना विधि-सम्मत् नहीं है और जब तक जाहिदा बानु पर कोई बटाईदार का वाद कभी नहीं था तो वैसी परिस्थिति में विपक्षी का दावा बटाईदार मुकदमा के आधार पर समीचीन प्रतीत नहीं होता है। अपीलार्थी खतियानी रैयत एवं उनके वारसानों से कि क्रय की है जिस वजह से उन्हें रैयती उक्त खरीदगी भूमि के लिए हासिल है। अतः निम्न न्यायालय के आदेश को खारिज करते हुए अपील वाद स्वीकृत किया जाता है। इस प्रकार अपील वाद का निस्तार किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा